न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 214/2017 **दायरा दिनांक : 06.12.2017**

उनवान

1— प्रेमलता भार्गव पत्नी श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— महावीर प्रसाद पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— रामजीलाल पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— महेन्द्र पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— रेखा पुत्री श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— संतोष पुत्री श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र श्री चतुर्भुज, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— ललता प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— रामस्वरूप पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— बलराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— बालकिशन पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बारां जिला बारां

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 95/2019 **दायरा दिनांक : 08.07.2019**

उनवान

मांगीलाल पुत्र श्री चतुर्भुज, उम्र 75 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मृतक कजोड़ लाल आत्मज श्री श्यामलाल के कायम मुकामान :—

1/1— प्रेमलता भार्गव पत्नी श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/2— महावीर प्रसाद पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/3— रामजीलाल पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/4— महेन्द्र पुत्र श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/5— रेखा पुत्री श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1/6— संतोष पुत्री श्री कजोड़लाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— कमला पुत्री श्यामलाल पत्नी प्रभूलाल, आयु 75 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी परोलिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— कल्या पुत्री श्यामलाल पत्नी लक्ष्मीनारायण, आयु 55 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी प्रताप नगर, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— छन्नू पुत्री श्यामलाल पत्नी राम, आयु 53 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी बीनागंज (मध्यप्रदेश) हाल निपानिया, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— इन्द्रा पुत्री श्यामलाल पत्नी चन्द्र मोहन, आयु 51 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी प्रताप नगर, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— द स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील छबड़ा, जिला बारां

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश प्रकाश, श्री बालमुकुन्द गूर्जर एवं श्री उत्पल शर्मा

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.07.2019**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 42/2013 व 37/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2017 व 31.12.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण 1 लगायत 5 के पिता मदनलाल के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा एवं वादीगण 6 व 7 के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है जो माफी पटेलाई की जमीन है । सन् 1966 में राज्य सरकार द्वारा माफी अंकित की गई और लगान कायम किया गया । माफिया जप्त कर यह आदेश जारी किया कि जो व्यक्ति काश्त कर रहे हैं उनके खाते लगा दी जावे और मकबूजा सरकार दर्ज कर दिया जावे । इंतकाल 48 खोलकर माफी जप्त की गई एवं मकबूजा सरकार दर्ज कर लगान कायम किया गया । मूल खातेदार मदनलाल वादीगण 1 लगायत 5 के पिता का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है जिसके वारिसान कायम मुकामान वादीगण 1 लगायत 5 हैं लेकिन आज तक इंतकाल खुलकर वादीगण के खाते नहीं आयी है । स्वर्गीय मदनलाल के अन्य कोई कायम मुकामान वारिसान नहीं है । वाद में वर्णित आराजी पटेलाई की थी, वादीगण के पूर्वज पटेल थे । वर्तमान में भी उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है । वादीगण पीढ़ी दर पीढी कब्जा काश्त करते आ रहे हैं । वादीगण वाद प्रस्तुत कर इस आशय की डिक्री चाहते हैं कि वादीगण 1 लगायत 5 के खाते एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा खाते में से मकबूजा सरकार शब्द हटाकर मदनलाल की जगह उसके वारिसान कायम मुकामान कलावती, ललता प्रसाद, रामस्वरूप, बलराम, बालकिशन वगैरहा वादीगण 1 लगायत 5 का 1/5 के अलग खाते दर्ज की जावे तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर

307 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम निपानिया खाते से मकबूजा सरकार हटाकर वादी 6 व 7 मांगीलाल व लक्ष्मी चन्द का 1/2 हिस्सा भूमि अलग अलग दर्ज कर अलग अलग लगान कायम कर कृषक खातेदार घोषित किया जोव, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई ।

अपील संख्या 214/2017 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है । ग्राम निपानिया में खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित थी जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 37/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2013 से अपीलांट के नाम खातेदार में दर्ज हुई थी जिसके आधार पर इंतकाल नम्बर 1661 दिनांक 05.05.2014 को सम्पूर्ण खाता खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा अपीलांट 6 के 1/2 व अपीलांट क्रम 07 के 1/2 के नाम दर्ज हो गई थी । रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 5 ने एक दावा सरकार को पक्षकार बनाकर वादग्रस्त भूमि का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें अपीलांट कम्र 7 लक्ष्मीचन्द को भी पक्षकार बनाया गया , किन्तु न तो वाद पत्र अथवा वकालतनामे पर लक्ष्मीचन्द के हस्ताक्षर करवाये गये और ना ही 80 सी पी सी का नोटिस अपीलांट क्रम 7 से दिलवाया गया । इस प्रकार अपीलांट क्रम 7 का नाम गलत रूप से अंकन कर दिया । इसकी जानकारी नहीं थी। लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ ने न तो कोई वकील किया, ना हस्ताक्षर किये । इस प्रकार प्रकरण 42/2013 ललता प्रसाद, रामस्वरूप, बलराम वगैरह ने फर्जी रूप से फर्जी वकील खड़ा करके पेश करवा दिया जिसकी उसको जानकारी ही नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील संख्या 95/2019 अपीलांट धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट क्रम 1 जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा जिनके वैध कायम मुकाम रेस्पोडेंट क्रम 1/1 से 1/6 अपील में पक्षकार बनाये गये हैं एवं रेस्पोडेंट क्रम 2 द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी ए का इस कथन से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 431 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निपानिया, तहसील छबडा में स्थित है जो अन्य खातेदारान के साथ साथ किशनलाल पुत्र हरबन्श, जाति ब्राहमण के नाम दर्ज है उक्त भूमियों में से खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि किशनलाल के कब्जे में चली आ रही थी ताि उनके बाद भूमि वादीगण कजोड एवं लक्ष्मीचन्द के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि वादीगण के खाते में थी किन्तु जमाबंदी में श्यामलाल, लक्ष्मीचन्द के खाते दर्ज कर उन्हें उपकृषक दर्ज कर दिया गया तथा जमाबंदी में मकबूजा सरकार का नोट अंकित कर दिया जो अवैधानिक है तथा वादी को भूमि का खातेदार घोषित करते हुए मकबूजा सरकार का नोट हटाया जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12. 2013 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया जिसकी अप्रसन्नता से धारा 96 सी पी सी के पृथक से प्राथ्रना पत्र प्रस्तुत है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय व डिक्री जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेंट के द्वारा जो वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था वह तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया था जबकि वास्तविकता में उक्त सम्पर्ण भूमि 39 बीघा है जो माफी पटेलाई की भूमि थी तथा सम्पूर्ण भूमि में से खसरा नम्बर 307 रकबा 4 बीघा 4

बिस्वा का पुराना खसरा नम्बर 278 था तथा उक्त माफी सन् 1952 में जप्त हो गई थी तथा उक्त जप्त माफियों का इंतकाल नम्बर 56 पर दर्ज हुआ जिसके अनुसार जमाबंदी में जो अंकन हुआ उसमें यह तथ्य आया कि कुल 24 पटेलों में से 20 पटेलों की मृत्यु हो गई तथा उक्त मृतक पटेलों के नाम की पटेलायी खारिज कर दी गई तथा जो पटेल काबिज काश्त थे उनके उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी में अंकित किये गये, उनमें से पटेल मोतीलाल, चतुर्भुज जो कि अपीलांट के पिता थे का नाम अंकित हुआ, इस महत्वपूर्ण तथ्य को रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद में छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया । सैटलमेंट के बाद प्रथम बार श्यामलाल का नाम जोड़ा गया था । सैटलमेंट में हुए इन्द्राज का लाभ उठाते हुए रेस्पोडेंट द्वारा वाद दायर किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट द्वारा श्यामलाल की पुत्रियों जो कि प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट क्रम 3 लगायत 6 हैं कमला, कन्या, छन्नू एवं इन्द्रा जो कि श्यामलाल की पुत्रियां थी तथा घोषणात्मक वाद में जो खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये हैं जो इस महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर व इनको पक्षकार नहीं बनाकर विधि में उल्लेखित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है इस कारण निर्णय व डिक्री जैर अपील काबिले निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2013 निरस्त की जावे ।

अपील संख्या 214/2017 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.11.2017 को हुई एवं एवं अपील संख्या 95/2019 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम की अपीलांट को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण नहीं हो सकी । अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 214/2017 एवं अपील संख्या 95/2019 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में दोनों अपील संख्या 214/2017 एवं 95/2019 में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 214/2017 में अपीलांट ने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं यथा वाद पत्र व वकालतनामे पर लक्ष्मीचन्द के हस्ताक्षर से सम्बन्धित, व राजस्व नियमों से सम्बन्धित नहीं होकर फौजदारी प्रकरण के हैं। लक्ष्मीचन्द के हस्ताक्षर 80 सी पी सी के नोटिस पर पत्रावली पर उपलब्ध है। अपील के तथ्य राजस्व नियमों से सम्बन्धित नहीं होने से एवं फौजदारी के तथ्य होने से यह अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2017 यथावत रखा जाता है।

अपील संख्या 95/2019 में EX –1 में चतुर्भुज, मोती लाल का नाम दर्ज होने से अपील के तथ्य प्रमाणित होते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2013 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा